इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921 ई0)

THE INTERMEDIATE EDUCATION ACT, 1921

(U.P. Act No. II of 1921)

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921[1]

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1941

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1950

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1958

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1959

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1972

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1977

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1981

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1981

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1984

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1987

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2008

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2022

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2022

द्वारा संशोधित

गवर्नमेंन्ट आफ इंण्डिया (एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत ।

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत ।

[गवर्नर ने 30 सितम्बर, 1921 तथा गवर्नर जनरल ने 10 दिसम्बर, 1921 को अनुमति प्रदान की और गर्वनमेंन्ट आफ इंडिया, ऐक्ट, की धारा 81 के अधीन 7 जनवरी, 1922 को प्रकाशित[2] हुआ ।]

एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा की पद्धति का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के सम्बन्ध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिये तथा उसके लिये पाठ्यक्रम विहित करने के लिये एक परिषद् की स्थापना की जाय ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है ;

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 कहलायेगा ।

---

1. उद्देश्य कारण हेतु गजट, 1921 की पृष्ठ संख्या 18 के बिन्दु VII देखें।

2. कृपया गजट, 1922, भाग–सात, पृष्ठ 1 देखिये।

[(2) इसका विस्तार[1] सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।][2]

(3) यह ऐसे दिनांक[3] से प्रवृत्त होगा जैसा कि [4][राज्य सरकार] [5][सरकारी गजट] में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दें ।

परिभाषायें

2–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बने समस्त विनियमों में ––

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है ;

[6][(कक) "केन्द्र" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिये नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि भी सम्मिलित है ;]''

(ककक) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है; [7][और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक भी है]

[8][(ख) "संस्था" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल से है, और, जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, इसके अन्तर्गत संस्था का

---

1. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है प्रवृत्त किया गया है ;

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसारित किये गये है	विज्ञप्ति यदि कोई हो जिनके अंतर्गत प्रभावी किया गया	तिथि, जिससे प्रभावी किया गया
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950	विज्ञप्ति सं0 810/सत्रह, दिनांक 28, फरवरी, 1950	1 मार्च, 1950
2– जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	विज्ञप्ति सं0 812/सत्रह, दिनांक 28 फरवरी, 1950	तदैव
3– जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी–गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1950	– –	तदैव

2. ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 की धारा 1 की उपधारा (2) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1922 को प्रचलित हुआ ।
4. ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
5. ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गजट) के लिये प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6, 1959 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1, 1981 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

भाग भी है, और "संस्था के प्रधान" का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति, प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से है ।][1]

[2][(खख) "निरीक्षक" का तात्पर्य, यथास्थिति, जिला विद्यालय निरीक्षक से, और बालिकाओं के लिये संस्था की स्थिति में, सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;]

[3][(खखख) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे ;]

[4][(ग) "विहित" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है ;]

(घ) "मान्यता" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है ;

[5][(घघ) "सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी शिक्षा शिक्षा उप–निदेशक से है और इसमें सम्भागीय उप–निदेशक के समस्त कर्त्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है;]

(ङ) "विनियम" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

[(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;]

[6][(छ) "केन्द्र–अधीक्षक" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है।]

[7][3]–(1) बोर्ड मे एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् ––

[7][बोर्ड का गठन]

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रधान ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो अध्यापक ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 2 (1) द्वारा रखा गया ।
2. उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा रखा गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6, 1959 की धारा 2 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 25, 1958 की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6, 1959 की धारा 2 (3) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[(ग) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ या उसके द्वारा, नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि ;

(घ) निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि ;

(ङ) अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ;

(च) अपर शिक्षा निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) लखनऊ ;

(छ) शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(ज) महिला शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो महिला ;

(झ) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन ;

(ञ) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन ;

(ट) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद ;

(ठ) सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ, पदेन ;

(ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक ;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सम्भागी संयुक्त शिक्षा निदेशक ;

(ण) क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद पदेन ;

(त) प्राचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण, महाविद्यालय रामपुर, पदेन ;

(थ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ;

(द) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ;

(ध) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ;

(न) किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सा महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ;

(2) बोर्ड का सचिव, बोर्ड का पदेन सदस्य–सचिव होगा;][1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतस्थापित।

(3) बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है।][1]

सदस्य का हटाया जाना

[2][**3–क–** राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिये हानिकारक हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।]

सदस्यों की पदावधि

4–(1) [3][पदेन सदस्यों] के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि [4][धारा 3 की उपधारा (3)] के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की होगी :

[5][प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में [6][छः महीने] से अनधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर [6][एक वर्ष] से अधिक न हो ।

[6क][(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह [7][नाम–निर्दिष्ट] किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जाएगा।]

प्रतिस्थापन

[8][**5–**राज्य सरकार धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड बोर्ड के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी।]

6– [9][* * * *]

बोर्ड के अधिकार

7– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार होंगे अर्थात् :–

[10][(1) हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण–सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना ;

[10](1–क) ऐसी पाठ्य–पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा, प्रकाशन या निर्माण] ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1958 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 4 (क) द्वारा रखा गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 12 1978 की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1950 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 12 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

6क. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 4(ख) द्वारा रखा गया।

7. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 2008 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा निकाला गया।
10. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 5 (1) रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जायेगा ।

(2–क) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना, जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषाधिकार वाली किसी संख्या से अध्यापन पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, या

(ख) जो अध्यापक हों ; या

(ग) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्ही शर्तों के अधीन बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों ;

(3) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना ;

[1][(4) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् नवीन स्व–वित्तपोषित हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता प्रदान किया जानाः

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात, इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्व–वित्तपोषित विद्यालय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।]

(5) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना ;

(6) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किए जायें ;

[2][(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना] ;

(8) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना जो बोर्ड अवधारित करे ;

(9) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में [3][निदेशक] से रिपोर्ट मांगना ;

(10) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में [4][राज्य सरकार को] अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो ;

(11) बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और, यदि वह उचित समझें, तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को [3][राज्य सरकार के] विचारार्थ भेजना ;

(12) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों का करना जो हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संघटित किए गए बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों ।

[किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता]

[5][**7–क–** धारा 7 के खण्ड (4) में किसी बात के होते हुए भी, ––

(क) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दे सकता है ;

(ख) निरीक्षक किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 10, 2022 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 5 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1958 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो सं0 प्रा0 अधिनियम सं0 5, 1941 की धारा (2) द्वारा "मिनिस्टर" के लिए प्रतिस्थापित किया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 1987 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][7–कक– (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण ––

[1][अंशकालिक अध्यापकों या अंशकालिक अनुदेशकों का सेवायोजन]

(एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को, धारा 7–क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता दी गई है, उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिये अनुज्ञा दी गई है, उसमें, शिक्षा देने के लिये;

(दो) अंशकालिक अनुदेशक को, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिये, अपने स्त्रोत से सेवायोजित कर सकता है ।

(2) धारा 7–क के अधीन कोई मान्यता और कोई अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति निरीक्षक को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय ।

(3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी शर्तों का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, अनुपालन न किया जाय ।

(4) कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हतायें, जैसी विहित की जाय, न रखता हो ।

(5) किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(6) इस अधिनियम की कोई बात किसी संस्था में अध्यापक के रूप में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति को धारा 7–कक के अधीन अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में सेवायोजित किये जाने से प्रचारित नहीं करेगी ।

[2][7–कख– उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात धारा 7–कक के अधीन किसी संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।]

[2][छूट] उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24 सन् 1971

7–ख– कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, ग्रहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके हाईस्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्तियुक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है ।

डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 1987 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 1987 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

संस्था में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

7–ग– किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी [1][ऐसी संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में] किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा ।

धारा 7–ख अथवा 7–ग का उल्लंघन करने के लिये शास्ति

[2][**7–घ–** धारा 7–ख अथवा 7–ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने से भी जो एक हजार रूपये कम न होगा दण्डित किया जा सकेगा, और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझ कर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दण्डित किया जा सकेगा।]

दान का उचित उपयोग

[3][**7–ङ–** जहाँ किसी संस्था द्वारा, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया था प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायगा जिनके लिये वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में, नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता मे जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।]

कतिपय विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति

8–इस अधिनियम में दी गई किसी बात का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय [4][या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय] के संघटन, अधिकार या कृत्यों पर उस समय तक कोई प्रभाव न पड़ेगा जब तक लिखित रूप में उनकी सहमति अभिलिखित न की गई हो ।

राज्य सरकार के अधिकार

9–(1) [5][राज्य सरकार] को बोर्ड द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को संबोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे बोर्ड सम्बन्धित हो, बोर्ड को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा ।

(2) बोर्ड [5][राज्य सरकार] को उसके पत्र पर की गई अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा ।

(3) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर [5][राज्य सरकार] के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् [5][राज्य सरकार] इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 6 द्वारा बढ़ायी गयी ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 33 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

[1] [(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह बोर्ड को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किए बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर आपत्ति नही की जायगी।]

बोर्ड के पदाधिकारी

10–बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे ;

(1) सभापति,

(2) सचिव,

(3) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें विनियमों द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित किया जाय ।

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

11–(1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे ।

(2) सभापति को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर [2][बोर्ड की कुल सदस्यता के कम से कम एक–चौथाई सदस्यों] के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किए जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलाएगा ।

(3) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमे सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे, और उसके पश्चात् बोर्ड को उसकी अगली बैठक मे अपने द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना देगा ।

(4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जायें ।

सचिव की नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्त्तव्य

12–(1) सचिव को [3][राज्य सरकार] द्वारा ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जायगा जो उचित समझे ।

[4][* * *]

(2) बोर्ड के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए सचिव, बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी होगा । वह वार्षिक अनुमान और लेखा–विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) वह यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाती है जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रविष्ट की गई है ।

(4) वह बोर्ड का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 7 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
2. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज़ आर्डर, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 9 (i) द्वारा निकाला गया ।

[1][(4–क) वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों] ;

(5) वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(6) [2][* * *]

समितियों की नियुक्ति और संगठन

[3] **[13–**(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा, और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती है, अर्थात् –

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति, और

(ङ) वित्त समिति ।

[4][(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इस समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नही होगा और समिति के सदस्य इस रूप में तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि वे बोर्ड के सदस्य है।]

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, बोर्ड अन्य समितियों, यदि कोई हों, जो विहित की जाय, नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियाँ नियुक्ति की जा सकती है ।

(4) इन अतिरिक्त समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाय और इस समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिए होगा जो विहित किया जाय।]**[3]**

बोर्ड द्वारा समितियों की प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग

14–इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदान किए गए ऐसे अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें बोर्ड ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिदिष्ट किए गए समझे जायेंगे और बोर्ड ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व, सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा ।

अधिनियम संख्या 45, 1860

[5]**[14–क–** (1) बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा या परीक्षाओं की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के एक महीने पूर्व की अवधि में तथा उनके तुरन्त बाद दो महीने की अवधि तक किसी केन्द्र के अधीक्षक को तथा अन्तरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अधीन लोक–सेवक समझा जायगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 9 (ii) द्वारा रखा गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 9 (iii) द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2008 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 06, 1959 की धारा 3 द्वारा रखा गया।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि में किसी केन्द्र के अधीक्षक या किसी अन्तरीक्षक पर किया गया कोई हमला या उनके साथ किया गया कोई आपराधिक बल–प्रयोग किसी लोक–सेवक द्वारा उसके लोक–कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में स्वेच्छया डाली गई बाधा समझी जायगी और वह असंज्ञेय प्रपराध होगा ।][1]

विनियम

बोर्ड का विनियम बनाने का अधिकार

15–(1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकता है ।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकता है, अर्थात् :–

(क) समितियों का संघटन, उनके अधिकार और कर्त्तव्य ;

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्रों का प्रदान करना ;

(ग) बोर्ड को परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(घ) समस्त प्रमाण–पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्य–क्रम ;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्ट किए जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्रों के पाने के पात्र होंगे ;

(च) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्त्तव्य और अधिकार ;

(झ) धारा 3 की उपधारा (1) के [2][खण्ड (ग)] के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ;

(ञ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिये संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना ;

(ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके ;

(ठ) वे शर्तें जिनके अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जायेंगे ।

[3][(ड) अभिभावक–अध्यापक एसोसियेशन की रचना।]

बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति

[4]**[16–** (1) धारा 15 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 6, 1959 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 34 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कार सहित, जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है।][1]

प्रशासन योजना

[2][**16–क–** (1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी [3][राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्था के लिये] एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतत् पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) चाहे उस संस्था को इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में । प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत् पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संघटन की व्यवस्था की जायगी जिसमें संस्था के मामले के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा । [4][संस्था के प्रधान] तथा उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा ।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से संबंधित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रशासन योजना में [5][संस्था के प्रधान] तथा प्रबन्ध समिति के अलग–अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बतायें जायेंगे ।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिये उस समय तक अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिये अन्यथा व्यवस्था न की गई हो ।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नही किया जायेगा :

[6][प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाविधकरण के अभ्यावेदन पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।]

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 16–ख और 16–ग के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 12 द्वारा रखी गयी ।
2. धारायें 16.क से 16.झ तक उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1958 की धारा 7 द्वारा बढ़ायी गयी ।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2022 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 13 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 13 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 13 (ग) द्वारा बढ़ायी गयी।

[1][(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के संबंध में कोई विवाद हो, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जिसे उचित समझा जाय, उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय गठित ऐसी संख्या की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, प्रतिद्वन्दी दावेदारी को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

स्पष्टीकरण — इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संख्या के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण की उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।]

16–ख–(1) किसी संस्था के इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व ही मान्यता प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त प्रारम्भ के दिनांक से छः महीने के भीतर, तथा अन्य समस्त दशाओं में मान्यता प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन–पत्र के साथ प्रशासन योजना का एक प्रारूप तैयार किया जायेगा और उसे धारा 16–ग के अनुसार निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) यदि कोई संस्था, जो इन्टरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 के पूर्व मान्यता प्राप्त कर चुकी हो, उपधारा (1) के उपबन्धों का तदर्थ नियत अवधि के भीतर पालन न करे, तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा जिसमें उससे तीन महीने की और अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने को कहा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के पूर्व संस्था द्वारा अभ्यावेदन किये जाने की दशा में निदेशक अपने विवेकानुसार अवधि तीन महीने के लिये और बढ़ा सकता है ।

(3) यदि दिये हुए समय के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक [2][धारा 16–घ की उपधारा (3)] के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

16–ग–(1) [3][इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, या तो धारा 16–ख के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रशासन योजना–प्रारूप को स्वीकृत करेगा या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा । यदि निदेशक, प्रशासन योजना में किसी परिवर्तन या परिष्कार का इस प्रकार से सुझाव देगा तो वह उसके लिये अपने कारण बताते हुए और संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए संस्था को उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 01, 1981 की धारा 3 द्वारा रखी गयी ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 01, 1981 की धारा 4 द्वारा प्रस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 01, 1981 की धारा 5 द्वारा प्रस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना–प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गयी समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना–प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा ।

(2) निदेशक उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार किये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और वह प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उक्त उपधारा के अन्तर्गत सुझाये गये परिवर्तन या परिष्कार के अधीन रहते हुए या ऐसे किन्ही अन्य परिवर्तनों सहित, जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हों, स्वीकृत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासित योजना में कोई नया परिवर्तन या परिष्कार करने का प्रस्ताव करे तो वह संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, अभ्यावेदन करने का अवसर देगा ।

[1][**16–गग–** किसी ऐसी संस्था, जिसे इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना, तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी ।

16–गगग– (1) जहाँ किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इण्टरमीडिएट, शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय धारा 16–क, या धारा 16–ख या धारा 16–ग के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गयी हो, और ऐसी प्रशासन योजना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, वहाँ निदेशक प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसे प्रारम्भ के [2][तीन वर्ष] की अवधि के भीतर भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिये अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा ।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुये या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहाँ वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जिसे वह विनिर्दिष्ट करें, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 01, 1981 की धारा 6 द्वारा प्रस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 6, 1984 की धारा 2 द्वारा प्रस्थापित ।

[1][**16–घ–** (1) निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय–समय पर निरीक्षण करा सकता है ।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है ।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक का यह समाधान हो जाय कि––

(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है ; या

(दो) समिति ऐसी अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी–वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है ; या

(तीन) भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के संबंध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है ; या

(चार) समिति संस्था के लिये ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक है, व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है ; या

(पांच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों का उल्लंघन करके अन्तरित किया है ; या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 16–ख के अधीन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन–योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इण्टरमीडिण्ट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व अनुमोदित की गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा 16–गगग के अधीन नोटिस दिये जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है ;

तो वह मामले को ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिये बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय ।

(4) जहाँ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा निदेशक समय–समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहे, या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 1981 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

[के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहाँ वह उस संस्था के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय–समय पर, उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधि पूर्ण गठन हो गया है ।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के संबंध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खंड (पांच) में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय ।

(6) जहाँ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खंड (तीन) या खंड (पांच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान है वहाँ वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसी संस्था के संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनाँक को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से आस्थागित समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गयी नोटिस उन्मोचित हो जाय, तो इस उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खंड (तीन) और (पांच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायगी ।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, प्रबन्ध][1]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 1981 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

[समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनाँक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण–एक– सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने मे उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो ।

स्पष्टीरकण–दो– उपधारा (4) या [1][उपधारा (6)] की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश की प्रतिसंहत करने से प्रवारित नही करेगी ।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य–क्रम में माह प्रति माह किरायें पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार या भारत सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है ।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा ।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

(12) उपधारा (3) के अधीन किये गये निदेश के अनुसरण में बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेश या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नही की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नही दिया जायेगा ।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेगी ।][1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

16–घघ– (1) जहां धारा 16–घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहां ––

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 16–घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश को दिनांक को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिये उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिये जाने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

स्पष्टीकरण– इस धारा और धारा 16–घ में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के संबंध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण–कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन–सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियां, यदि कोई हों, सम्मिलित है और संस्था से संबंधित अन्य वस्तुयें, हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और वही ऋण और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखाबही, रजिस्टर और उससे संबंधित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी है और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।][1]

अध्यापकों और संस्था के प्रधानों के चयन की प्रक्रिया

[16–ङ– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये जायेगें ।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 01, 1961 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नति द्वारा भरी जाने के लिये विहित सीमा तक के, निरीक्षक को रिक्ति की सूचना देने और रिक्ति को कम–से–कम दो समाचार–पत्रों मे जिनका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञापित करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नही किया जायगा, जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति भी जिसके पास ऐसी अर्हता न हो, नियुक्त किया जा सकता है, यदि बोर्ड ने उसकी शिक्षा, अनुभव और अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये उसे अर्हता से मुक्त कर दिया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र ऐसी फीस सहित जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायगा [1][* * *]

[2][(5)–(एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन–पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

(दो) आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना, और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी'';]

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें प्रत्येक पद के लिये नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाये गये यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान–क्रम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश प्रबन्ध समिति को संसूचित करेगी ।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमानता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने से विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची मे उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची मे विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी ।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति मे

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 18 (क) द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 18 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

संभागीय शिक्षा उप निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में निरीक्षक को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(9) यदि नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायगा ।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि, यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप मे किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश दे सकता है जो आवश्यक हो ।

(11) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी किसी पदासीन व्यक्ति को छः माह से अनधिक अवधि के लिये अवकाश के अनुदान से या किसी शिक्षा सत्र के दौरान किसी पदासीन व्यक्ति को [1][मृत्यु, सेवा समाप्ति या अन्य प्रकार] से उत्पन्न होने वाली अस्थायी रिक्ति की दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा चयन समिति को निर्देश किये बिना ऐसी रीति से और ऐसी शर्ते के अधीन की जा सकेगी जो विहित की जाये ।

[2][प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किसी भी स्थिति में, उस शिक्षा सत्र के जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई हो समाप्त के पश्चात् नही बनी रहेगी ।]

[3][16–ङङ–(1) जहाँ किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छंटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो, और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहां सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक इस निमित्त आवेदन–पत्र दिये जाने पर निदेश देगा कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय ;

[छंटनी किये गये कर्मचारियों का आमेलन]

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् छंटनी किये गये किसी कर्मचारी के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक सम्बद्ध कर्मचारी के आवेदन–पत्र के बिना इस धारा के अधीन निदेश देगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर दिया जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 18 (ग.1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 18 (ग.2) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1981 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया

[(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् ––

(एक) सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और ऐसे कर्मचारी को, जिसके पक्ष में ऐसा निदेश दिया जाय, समिति द्वारा उसे जारी किये गये नियुक्ति के आदेश के दिनांक से या उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति पर निदेश तामील किये जाने के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति से, जो भी पहले हो, ऐसी संस्था का कर्मचारी समझा जायगा ।

(दो) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी छटनी के दिनांक के पूर्व किसी सस्था में की गयी मौलिक सेवा की अवधि की गणना उसकी ज्येष्ठता और पेशन के प्रयोजनों के लिये की जायगी।

(तीन) जहाँ सम्बद्ध कर्मचारी पद का कार्यभार इस निमित्त दिये गये समय के भीतर ग्रहण करने में चूक करता है, वहां इस धारा का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिये गये निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तामील के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है, और उस पर निदेशक का आदेश अन्तिम होगा।

(5) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

[2][(6) इस धारा की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) मे निर्दिष्ट अल्प संख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नही होगा।][2]

[स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनार्थ, ––

(क) किसी संस्था के संबंध में "कर्मचारी" का तात्पर्य उस संस्था के ऐसे अध्यापक, संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारी से है जो छंटनी के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को स्थायी पद पर हो ;

(ख) "संस्था" के अन्तर्गत राज्य सरकार या निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था भी है;

(ग) किसी संस्था के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "छंटनी" का तात्पर्य त्याग–पत्र, सेवानिवृत्ति या अनुशासनिक कार्यवाही में दंड स्वरूप हटाये जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है।][1]

चयन समिति

16–च़– (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे : ––

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट करे–जो सभापति होगा ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 1981 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1981 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ii) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट खण्ड (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न उसका एक सदस्य ;

(iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है।

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे : ––

(i) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम–निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा ;

(ii) ऐसी संस्था का प्रधान ;

(iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका मे से निरीक्षक द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है ।

(3) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) या उपधारा (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायगा ।

(4) प्रत्येक सम्भाग के लिये विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायेगी और प्रत्येक तीन वर्ष मे एक बार पुनरीक्षित की जायगी ।

(5) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति से किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी कोई सिफारिश विधिमान्य नही होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (iii) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों ।

(6) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता मे कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नही होगी ।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

16–चच– (1) धारा 16–ङ की उपधारा (4) में और 16–च में किसी बात के होते हुये भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) मे निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति मे प्रबन्ध समिति द्वारा नाम–निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुये) पांच सदस्य होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक–

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका मे से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा ;

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले मे सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय ।

(3) इस धारा के अधीन चुने गये किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नही किया जायगा, जब तक ––

(क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो ; और

(ख) अध्यापक के मामले में निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नही रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो ।

(5) जहाँ सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन नही करता है वहां प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा ।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिये उपबन्ध

[1][**16–चचच–** (1) बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिये प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित, सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा, और कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उसका परीक्षाफल तैयार करने के लिये ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिये कर सकता है । जो उसे उसके लिये आवश्यक प्रतीत हो।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 14 द्वारा धारायें 16–ड़, 16–च, 16–चच एवं 16–चचच रखी गई ।

office of Regional Deputy Director while acting as Inspector, the appeal

[1] [संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें]

16–छ–(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तो द्वारा शासित होगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाये और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है ––

(क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नती तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, [2][जिसके अन्तर्गत जांच या अवेक्षित जांच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जांच या विचार किए जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियां और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है ;

(ख) वेतन–क्रम तथा वेतनों का भुगतान ;

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण ;

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ ; और

(ड़) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना ।

(3) (ए) कोई भी प्रिसिंपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा, और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा । निरीक्षक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाय ।

(बी) निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने के नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक आदेश जारी करने के पूर्व प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतायें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय ।

[3][(सी) कोई पक्ष खण्ड (बी) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध चाहे वह इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, और सम्भागीय उप–निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा ।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 15 (i) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 15 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या VII, 1966 की धारा 2(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

representation, revoke an order of suspension passed under this section.

अपील किसी अन्य सम्भागीय उप–निदेशक को निर्णय के लिए संक्रमित हो जायगी और इस खण्ड के उपबन्ध उस सम्भागीय उप–निदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों वह अपील उसी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी।][1]

[2][(डी) खण्ड (सी) के अधीन, जैसा कि वह इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गई सभी अपीलें जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिए विचाराधीन थीं, उक्त अधिनियम द्वारा यथा–प्रतिस्थापित खण्ड (सी) के अनुसार सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेंगी।]

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिए गए निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, निष्पादित करने के लिए बाध्य होंगे।

[3][(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में ––

(क) उसके विरुद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि उससे उसकी पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय ; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ; या

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित हो ।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यदि निलम्बन आदेश ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया था, और किसी अन्य मामले में निलम्बन के आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर निरीक्षक को दी जायगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नही की जायगी ।

(8) यदि, किसी समय, निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 7, 1966 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 15 (iii) द्वारा प्रतिस्थापित।

member of the Committee of Management or the Principal or Headmaster of the institution concerned.

(9) इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को निस्तारण के लिए अन्तरित हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) ने किसी ऐसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर दी हो तो अपील का निस्तारण स्वयं उप शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में पद सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक का तात्पर्य संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) से होगा ।][1]

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना

[2][**16–छछ**–(1) धारा 16–ड़, 16–च और 16–चच में, किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के अध्यापक को जो 18 अगस्त, 1975 और 30 सितम्बर, 1976 (जिसमें दोनों दिनांक सम्मिलित हैं) के बीच स्पष्ट रिक्ति में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है और विहित अर्हतायें रखता है या जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गई है, इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायगा, बशर्ते कि ऐसा अध्यापक अपनी नियुक्ति के दिनांक से इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनार्थ उस अवधि, जिसमें अध्यापक की सेवा में उसकी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के बीच कोई व्यवधान किसी ऐसे कारण से हुआ है जो उसके दुराचरण या स्वेच्छा से उत्पन्न नही हुआ है, पर ध्यान नही दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसा अध्यापक अपनी सेवा में व्यवधान की किसी ऐसी अवधि के लिये किसी वेतन या भत्ते का हकदार है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापकों को इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा ।

(3) इस धारा की किसी बात का वह अर्थ नही लगाया जायगा कि कोई अध्यापक––

(क) किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक पर ऐसे पद पर पहले ही नियुक्ति कर दी गयी है या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है, या

(ख) मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 15 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 35 द्वारा बढ़ाया गया।

committee to make bye-laws

consistent with this Act and the Regulations —

(a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum ;

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को दूसरे से संबंधित समझा जायगा, यदि ––

(क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों ; या

(ख) वे पति और पत्नी हों ; या

(ग) [1][द्वितीय अनुसूची] में इंगित रीति से एक दूसरे से संबंधित हों ।

संस्थाओं के कतिपय वर्गों की कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति

16–ज– (1) धारा 16–क, 16–ख, 16–ग, धारा 16–घ की [2][उपधारा (2) से (13)] तक के तथा धारा 16–ड़, 16–च तथा 16–छ के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नही होंगे ।

(2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में, राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (1) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होंगे या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्द्धनों के साथ लागू होंगे, जो वह करे [3][और इस प्रकार लागू किये गये उपबन्ध, यदि कोई हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।]

16–झ–राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के जिनका प्रयोग वह बोर्ड के सभापति के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो शिक्षा उप–निदेशक से निम्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है ।

17– [4][* * * *]

आकस्मिक रिक्तियां

18–बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को [5][निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट] किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो, और किसी आकस्मिक रिक्ति में [5][निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट] किया गया कोई व्यक्ति, बोर्ड या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो ।

कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

19–बोर्ड का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्त या रिक्तियां विद्यमान थी।

मतदान करने

20–(1) बोर्ड तथा उसकी समितियां इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1, 1981 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 36 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1941 की धारा 7 द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

7. Father's mother

8. Mother's mother

9. Mother's father

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत रहते हुए उप–विधियों द्वारा विहित किए जाने हैं ; और

(ग) केवल बोर्ड तथा उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गई हो ।

(2) बोर्ड और उसकी समितियाँ बोर्ड या समिति के सदस्यों को बैठकों के दिनांक और उसमें सम्पादित किए जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उप–विधियां बनायेगी ।

(3) बोर्ड समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गई किसी उप–विधि में संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकता है और समिति ऐसे किसी निदेश को कार्यान्वित करेगी ।

सद्भावना से किए गए कार्य आदि के लिए संरक्षण

[1][**21–** राज्य सरकार, बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नही की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत हो।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक

22– इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नही की जायगी।]

[2][* * * * * *]

[द्वितीय][3] [अनुसूची][4]

(धारा 16–छछ देखिये)

सम्बन्धियों की सूची

1–पिता

2–माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)

3–पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)

4–पुत्र–वधू

5–पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)

6–पिता का पिता

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 7, 1966 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2008 की धारा 5 द्वारा निकाला गया । (प्रथम अनुसूची)
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 20 द्वारा पुनः संशोधित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 37 द्वारा बढ़ाया गया।

monopoly in favour of any particular person, caste, creed, [1][* * *] or family ;

10—पुत्र का पुत्र

11—पुत्र की पुत्र—वधू

12—पुत्र की पुत्री

13—पुत्र की पुत्री का पति

14—पुत्री का पति

15—पुत्री का पुत्र

16—पुत्री की पुत्र—वधू

17—पुत्री की पुत्री

18—पुत्री की पुत्री का पति

19—भाई (जिसके सौतेला भाई भी सम्मिलित है)

20—भाई की पत्नी

21—बहिन (जिसमें सौतेली बहिन भी सम्मिलित है)

22—बहिन का पति

23—पत्नी (या पति) का भाई

24—पत्नी (या पति) का पिता

25—पत्नी (या पति) की बहन

26—भाई का पुत्र

27—भाई की पुत्री][2]

[3][तृतीय अनुसूची]

(धारा 16—गग देखिये)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा

प्रत्येक प्रशासन योजना में, ——

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी ।

(2) नियमकालिका निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी।

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी :

---

1. *Omit.* by s. 4 of U. P. Act no. 09 of 1981.
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1, 1981 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी।

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किये जाये और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी ।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों ;

(7) संस्था की सम्पत्ति के अनुसरण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जांच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।]